न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 90/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/351)

1. रामनिवास पुत्र रामकरण गुर्जर, जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 बहैसियत भू धारक तहसील बानूसर जिला अलवर राज0।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर राज0 निर्णय दिनांक 09.09.2022 अपील संख्या 12/72/2021 अनुवानी रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर दिनांक 22.02.2019 प्रकरण अनुवानी राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास प्रकरण संख्या 344/2019 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित–

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –14.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 एवं तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.11.2022 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 22.02.2019 द्वारा ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.25 है0, 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 एवं आराजी खसरा नं0 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.12 है0 में सरसों की फसल काश्त किये जाने पर 100/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहसीलदार बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.02.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निर्णय विधि के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया गया है। जिसमें दोनों न्यायालयों के द्वारा ना तो विधि के सिद्धान्तों का पालन किया गया और ना ही रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें तहत अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट अतिक्रमी के सम्बन्ध में पेश की गयी उसमें कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी पर पूर्व में कब अतिक्रमण किया था । जारी नोटिस पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उपधारा 3 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के द्वारा बेजा तोर पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 उपधारा 3 के तहत कार्यवाही कर 3 माह की सजा की गयी है। तहत न्यायालय के द्वारा जो नोटिस मिन अपीलान्टस को सुनवाई हेतु जारी किया गया है उस पर कहीं अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्टस ने पूर्व में कब किस सम्वत् में उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया था। इस प्रकार से उक्त नोटिस से साबित नहीं था कि अपीलान्टस के द्वारा पूर्व में कोई अतिक्रमण किया गया था ओर उसे बेदखल किया गया कहीं अंकित नहीं किया गया जिससे भी उक्त तथ्य मिथ्या हो जाने के कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्टस की खातेदारी कृषि भूमि है, जो कि उक्त भूमि के साथ लगती हुई है। जिसकी कभी ना तो तहसीलदार ने और ना ही पटवारी के द्वारा किसी भी प्रकार की पेमाईस करवायी ओर ना ही पटवारी हल्का द्वारा सरकारी भूमि व मिन अपीलान्टस की खुद कास्त की भूमि की पैमाईस की, जिससे कि मौके की वास्तविक स्थिति साफ हो सके परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गयी जिससे की अपीलान्टस को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना जाये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में ना तो कोई पूर्ववर्ती अतिक्रमी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात पेश किये गये और ना ही ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर पेश किया गया। जिससे साफ हो सके कि अपीलान्टस के द्वारा ऐसा कोई अतिक्रमण पूर्व में उक्त भूमि पर किया गया हो। दिनांक 14.01.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट पटवारी पेश की गयी जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया कि इससे पूर्व में भी कोई अतिक्रमण किया गया था केवल अपीलान्टस की खातेदारी की कृषि भूमि है, जो कि उक्त आराजी के साथ लगती हुई है के आधार पर उक्त रिपोर्ट बनाकर पेश की गयी जिसकी ना तो पेमाईस की गयी ओर ना ही कोई सीमाज्ञान की कार्यवाही अमल में लायी गयी, फिर किस आधार पर मिन अपीलान्टस को अतिक्रमी माना गया इसका कोई स्पष्टीकरण ना तो पटवारी ने किया ओर ना ही तहसीलदार बानसूर ने अपने निर्णय में कहीं अंकित किया । उक्त रिपोर्ट के आधार पर मिन अपीलान्टस को वास्ते सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। व जवाब साक्ष्य हेतु दिनांक 28.01.2019 को तलब किया गया। नोटिस की पालना में अप्रार्थी अपीलान्टस ने उपस्थित होकर अपना जवाब/शपथ पत्र पेश नहीं किया, फिर भी पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये और पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। इस कारण भी उक्त आलौच्य आदेश निरस्त किया जाने योग्य है। उक्त नोटिस में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलान्ट ने पूर्व में उक्त आराजी पर कब अतिक्रमण किया था। पटवारी हल्का के द्वारा पूर्व निर्णयों की कोई सत्यप्रति प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश नहीं की गयी है जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का के द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में स्वंय अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने स्वंय उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वंय ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान में उक्त भूमियों पर भविष्य में पुनः कोई कब्जा नहीं करूंगा। अपीलान्ट के द्वारा ना तो पूर्व में उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण किया था और ना ही आज दिनांक को किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। अतः उक्त आलौच्य निर्णय दिनांक 22.02.2019 व दिनांक 09.09.2022 को अपास्त किया जाना न्याय हित में है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के आदेश दिनांक 09.09.2022 व तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 को निरस्त फरमाये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने के आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश का एवं अनपढ़ व्यक्ति है जिसे कानून व मियाद की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील पेश करने में देरी हुई जो क्षमा योग्य है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.11.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 02.11.2022 को नकल प्राप्त की, इसके पश्चात जयपुर आकर अपने वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया और अपील प्रस्तुत की गयी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारित करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 652, 653, 646 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्दर राजकीय भूमियॉ है, जिन पर किसी को अतिकक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अवैध रूप से फसल काश्त/पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 15.11.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2022 की जानकारी नकल दिनांक 02.11.2022 को होना अंकित किया है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में इस प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का हरसौरा ने ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम धीरपुर तहसील बानूसर जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्दर में से 0.25 है0, 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 एवं आराजी खसरा नं0 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्दर में से 0.12 है0 में सरसो की फसल काश्त करना अंकित करते हुये अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण गुर्जर, जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर, तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 22.02.2019 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए 100/रूपये शास्ती, फसल नीलामी, बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 08.02.2019 को तलब किया गया। नियत तिथि को अतिक्रमी उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम धीरपुर में किये गये अतिक्रमण को स्वंय ही हटा लिया गया है, अब वर्तमान में उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं रहा है, तथा उक्त भूमियों पर भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करूंगा। दिनांक 22.02.2019 को पटवारी हल्का के बयान लिये गये पटवारी हल्का ने अपने बयान में अंकित किया गया है कि अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण द्वारा आराजी खसरा नं0 646, 653, 652 रकबा 3.53, 2.27, 2.80 किस्म गैर मुमकिन खालखद्दर, बारानी द्वितीय ग्राम धीरपुर पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था, उक्त अतिक्रमी द्वारा अब पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवर्ती है, और बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अर्थात आदतन अतिचारी है। तहत अदालत के समक्ष अतिक्रमी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने उपस्थित होकर शपथ–पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफियत पर अंकित टिप्पणी अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।, जबकि कानून राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा प्रकरण में पृथक से तहसीलदार बानसूर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के अनुसार वर्णित आराजीयात पर अतिक्रमी रामनिवास पुत्र रामकरण जाति गुर्जर का अतिक्रमण यथावत है, अर्थात अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत 2075 फसल खरीफ में भी बाजरा बोकर अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर